छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय
<u>महानदी भवन, नया रायपुर</u>

क्रमांक एफ-3-28/रा-2/2013 रायपुर, दिनांक 06 APR 2013

प्रति,

समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषयः-नगरीय क्षेत्रों में स्थित शासकीय भूमि की विडियोग्राफी करने बाबत् ।

---00---

छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद शहरीकरण की गति में तेजी से वृद्धि हुई है, इसके फलस्वरूप नगरीय क्षेत्रों में स्थित शासकीय भूमियों पर अनाधिकृत कब्जा करने की प्रवृत्ति में ईजाफा हुआ है । शासकीय भूमियों पर और अतिक्रमण ना हो इसे ध्यान में रखते हुए वर्तमान स्थित (अतिक्रमित क्षेत्र/ रिक्त क्षेत्र) क्षेत्रों का सर्वेक्षण एवं विडियोग्राफी कराया जाना आवश्यक होने से राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्रों में स्थित शासकीय भूमियों की विडियोग्राफी राजस्व विभाग के माध्यम से करायी जाये । इस हेतु नगरीय निकाय से भी सहयोग लिया जाये । विडियोग्राफी एवं अन्य व्यय जैसे पी.ओ.एल., आदि का वहन स्थानीय नगरीय निकायों द्वारा किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के द्वारा उनके पत्र क्रमांक 12557/1188/18/2013, दिनांक 20/02/2013 द्वारा सहमति व्यक्त की गई है ।

2/- शासकीय भूमियों पर विडियोग्राफी निम्नलिखित उद्देश्यों से करायी जाना है:-

1. भविष्य में शासकीय योजनाओं/उपक्रमों के लिये भूमि की उपलब्धता के आधार पर कार्ययोजना बनाने में सुविधा हो,
2. अतिक्रमण पर रोक लगायी जा सके,
3. किये गये अतिक्रमण पर समग्रता से विचार कर निराकरण किया जा सके.

3/- उपरोक्तानुसार अपने जिले के नगरीय क्षेत्रों में स्थित समस्त शासकीय भूमियों की विडियोग्राफी समय-सीमा में कार्य-योजना बनाकर कराया जाना सुनिश्चित करें ताकि शासकीय भूमियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके ।

5/4

(पी. निहालानी)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

एन.आई.सी. राज्य इकाई, रायपुर
No. 91
Date 12/4/13
N.I.C. STATE UNIT, RAIPUR

12/4/13

//2//

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ-3-28/रा-2/2013 रायपुर, दिनांक 06 APR 2013

प्रति,

समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषयः-नगरीय क्षेत्रों में स्थित शासकीय भूमि की विडियोग्राफी करने बाबत् ।

---00---

छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद शहरीकरण की गति में तेजी से वृद्धि हुई है, इसके फलस्वरूप नगरीय क्षेत्रों में स्थित शासकीय भूमियों पर अनाधिकृत कब्जा करने की प्रवृत्ति में ईजाफा हुआ है । शासकीय भूमियों पर और अतिक्रमण ना हो इसे ध्यान में रखते हुए वर्तमान स्थित (अतिक्रमित क्षेत्र/ रिक्त क्षेत्र) क्षेत्रों का सर्वेक्षण एवं विडियोग्राफी कराया जाना आवश्यक होने से राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्रों में स्थित शासकीय भूमियों की विडियोग्राफी राजस्व विभाग के माध्यम से करायी जाये । इस हेतु नगरीय निकाय से भी सहयोग लिया जाये । विडियोग्राफी एवं अन्य व्यय जैसे पी.ओ.एल., आदि का वहन स्थानीय नगरीय निकायों द्वारा किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के द्वारा उनके पत्र क्रमांक 12557/1188/18/2013, दिनांक 20/02/2013 द्वारा सहमति व्यक्त की गई है ।

2/- शासकीय भूमियों पर विडियोग्राफी निम्नलिखित उद्देश्यों से करायी जाना है:-

1. भविष्य में शासकीय योजनाओं/उपक्रमों के लिये भूमि की उपलब्धता के आधार पर कार्ययोजना बनाने में सुविधा हो,
2. अतिक्रमण पर रोक लगायी जा सके,
3. किये गये अतिक्रमण पर समग्रता से विचार कर निराकरण किया जा सके.

3/- उपरोक्तानुसार अपने जिले के नगरीय क्षेत्रों में स्थित समस्त शासकीय भूमियों की विडियोग्राफी समय-सीमा में कार्य-योजना बनाकर कराया जाना सुनिश्चित करें ताकि शासकीय भूमियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके ।

(पी. निहालानी)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

एन.आई.सी. राज्य इकाई, रायपुर
No. 91
Date 12/4/13
N.I.C. STATE UNIT, RAIPUR

पृ. क्रमांक एफ-3-28/रा-2/2013 रायपुर, दिनांक 06 APR 2013

प्रतिलिपि-

1. प्रमुख सचिव, मान. मुख्यमंत्री, मंत्रालय, नया रायपुर.
2. निज सचिव, मान. मंत्री जी राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग.
3. निज सचिव, मान. मंत्री जी, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग.
4. मुख्य सचिव के अवर सचिव, मंत्रालय, नया रायपुर.
5. स्टाफ आफिसर, प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग.
6. समस्त संभागीय आयुक्त, छत्तीसगढ़
7. आयुक्त, भू-अभिलेख, छ.ग. रायपुर
8. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, आर.डी.ए.बिल्डिंग, घड़ी चौक के पास, रायपुर.
9. संचालक, एन.आई.सी. मंत्रालय, रायपुर की ओर राजस्व विभाग की वेबसाईट www.cg.nic.in/revenue में अपलोड करने हेतु.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

10. आदेश फोल्डर.

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

----0000----